

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

(समक्ष:-डी०सी०थपलियाल)

प्र०क्र० 03/08 विद्युत

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा हरीश मेहता

कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०वि०वि०कं०लि०

गोहद जिला भिण्ड म०प्र०.....परिवादी

बनाम

गोकुल प्रसाद वाथम पुत्र श्री रामप्रसाद वाथम, उम्र 36

वर्ष निवासी छततरपुरा गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

परिवादी द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधि०

आरोपी सहित श्री के०पी० राठोर अधि०

// निर्णय //

(आज दिनांक 27-8-2015 को घोषित किया गया)

1- आरोपी का विचारण धारा 138 (1) ख विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है उस पर आरोप है कि दिनांक 7/12/07 को दिन में करीब 5 बजे ग्राम छततरपुरा गोहद स्थित अपने परिसर में लगे विद्युत कनेक्शन क्रं० 73-17-15827 के विच्छेदित होने के उपरांत भी बिल की बकाया राशि जमा किये बिना विद्युत कंपनी की एल. टी०लाईन में पुनः तार जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपयोग कर म०प्र०म०क्षे०वि०वि०कं०लि० को क्षति कारित की गई ।

2- परिवादी का परिवादपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी हरीश मेहता कनिष्ठयंत्री म०प्र०म०क्षे०वि०वि०कं०लि० गोहद के द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का परिवादपत्र पेश किया गया है कि आरोपी गोकुल प्रसाद पुत्र रामप्रसाद वाथम के नाम विद्युत कनेक्शन क्रं. 73-17-15827 घरेलु प्रकाश हेतु दिया गया था जिस पर विद्युत उपयोग की बकाया राशि 23692/- रुपये होने पर उसे विद्युत विभाग को अदा नहीं की गयी थी । आरोपी को दिनांक 28-11-07 को विद्युत बिल की बकाया राशि जमा करने हेतु सूचना दी गयी थी जो कि आरोपी के द्वारा जमा न किये जाने के कारण विद्युत कनेक्शन क्रमांक 73-12-15827 दिनांक 28-11-07 को विच्छेद कर दिया गया था तथा विद्युत का उपयोग न करने एवं बकाया राशि 7 दिवस में जमा करने को आरोपी को निर्देश दिये गये थे जिस संबंध

में दिनांक 3-11-07 को 15 दिवसीय नोटिस धारा 56 के तहत बकाया राशि जमा करने के लिये दिया गया था जिसे आरोपी के भाई कमलेश वाथम ने प्राप्त किया था । उसके उपरांत दिनांक 7-12-07 को समय 9:05 ए०एम० पर आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आरोपी के परिसर में विद्युत विभाग की एल०टी०लाईन से सीधे तार जोड़कर अप्राधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करना पाया गया । चेंकिंग के दौरान उसके साथ श्रीलाल कुशवाह, रनसिंह तोमर लाईन हेल्पर, रमेश रजक लाईन हेल्पर मौजूद थे । कनिष्ठ यंत्री के द्वारा मौके पर ही विद्युत के अवैध उपयोग का पंचनामा तैयार किया जिस पर पूरी टीम ने पंचनामा की सत्यता के हस्ताक्षर किये । उसके उपरांत आरोपी द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि जमा न करने के कारण वर्तमान परिवादपत्र धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

3- आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 138 (1) ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत समरीसीट पर अपराध की विशिष्टता तैयारकर पढकर सुनाये व समझाये गये आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई ।

4- आरोपी का धारा 313 द०प्र०सं० के तहत आरोपी परीक्षण किया गया । आरोपी परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फंसाया जाना एवं बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया ।

5- आरोपी को विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय है कि:-

क्या दिनांक 7/12/07 को दिन में करीब 5 बजे ग्राम छततरपुरा गोहद स्थित अपने परिसर में लगे विद्युत कनेक्शन क्र० 73-17-15827 के विच्छेदित होने के उपरांत भी बिल की बकाया राशि जमा किये बिना विद्युत कंपनी की एल.टी०लाईन में पुनः तार जोड़कर विद्युत का अवैध रूप से उपयोग कर चोरी कारित की ?

:- निष्कर्ष के आधार:-:

6- परिवादी विद्युत मण्डल की ओर से रनसिंह तोमर अ०सा०1, रमेश रजक अ०सा०2, हरीश मेहता अ०सा०3, श्रीलाल राठोर अ०सा०4 के कथन कराये गये हैं ।

7- परिवादी साक्षी हरीश मेहता जिसके द्वारा वर्तमान परिवाद पत्र पेश किया है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आरोपी गोकुल प्रसाद के कनेक्शन क्रमांक 73-12-15822 पर विद्युत बिल की बकाया राशि होना और इस संबंध में दिनांक 3-11-07 को उसे धारा 56 के अनुसार सूचनापत्र बकाया राशि जमा करने हेतु दिये जाने का नोटिस प्र०पी० 2 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है । साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि 28-11-07 को सूचनापत्र कनेक्शन विच्छेदन के संबंध में जारी किया गया था और कनेक्शन का विच्छेदन अपने अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से कराया था । पुनः चेंकिंग के दौरान दिनांक 7-12-07

को आरोपी को उक्त कनेक्शन अप्राधिकृत रूप से परिसर में विद्युत का उपयोग करना पाया गया जिस पर मौके का पंचनामा प्र0पी0 1 बनाया । प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि कनेक्शन उसने विच्छेदित नहीं किया था बल्कि अपने अधीनस्थ लाईनमेन श्रीलाल से विच्छेदित कराया था । इस बात को भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0 3 में इस आशय की कोई टीप अंकित नहीं है । इस बात को भी स्वीकार किया है कि कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही के समय वह मौके पर नहीं था । विच्छेदन की कार्यवाही के समय वह मौके पर क्यों नहीं गये थे इस संबंध में कोई भी कारण नहीं बता सके । साक्षी के द्वारा इस बात को भी स्वीकार किया है कि इस प्रकार के प्रकरण में कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही महत्वपूर्ण रहती है ।

8. कनेक्शन विच्छेद के संबंध में साक्षी श्रीलाल राठोर अ0सा04 के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन के मुख्य परीक्षण में यह नहीं बताया है कि उनके द्वारा कनिष्ठ यंत्री के निर्देशानुसार कनेक्शन का विच्छेद किया गया था । यद्यपि साक्षी प्रतिपरीक्षण में कनेक्शन उनके द्वारा विच्छेद करना बता रहा है किन्तु इस संबंध में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा कोई लिखापट्टी नहीं की गयी थी । इस बात को भी स्वीकार किया है कि कनेक्शन विच्छेद का सूचनापत्र पर कहीं उनके हस्ताक्षर नहीं है । इस संबंध में प्र0पी0 2 के दस्तावेज के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उसमें भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त कनेक्शन विच्छेद लाईन मेन श्री लाल राठोर द्वारा किया गया है । निश्चित तौर से कनेक्शन विच्छेद किये जाने की कार्यवाही एक महत्वपूर्ण कड़ी है । उक्त कनेक्शन विच्छेद करने के संबंध में कनिष्ठ यंत्री तथा लाईन मेन के कथनों से कहीं भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता कि किस तिथि को व किस समय कनेक्शन विच्छेद किया गया ।

9. इसके अतिरिक्त धारा 56 के नोटिस की तामीली भी अपराध की प्रमाणितकता हेतु एक महत्वपूर्ण बिन्दु है जो कि कनेक्शन विच्छेदन किये जाने का बकाया राशि जमा करने हेतु दिया जाता है । इस बिन्दु पर नोटिस के तामीलकर्ता रमेश रजक लाईन हेल्पर अ0सा02 के द्वारा नोटिस प्र0पी02 आरोपी के भाई कमलेश वाथम को दिया जाना बताया है और यह स्पष्ट किया है कि कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही उसके द्वारा नहीं की गयी थी बल्कि उसके अधिकारी के द्वारा की गयी थी । प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि नोटिस तामीली के समय ऐसी कोई तस्दीक नहीं की थी कि उपस्थित व्यक्ति जिसे नोटिस दिया गया है वह आरोपी का भाई रहा है तथा उसका नाम कमलेश वाथम रहा हो । निश्चित तौर से जबकि इस बात की कोई तस्दीक नहीं की गयी कि नोटिस प्राप्त कर्ता आरोपी का भाई है और वास्तव में वह आरोपी का भाई है ऐसी दशा में नोटिस की सम्यक रूप से तामीली का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है ।

10. जहां तक मौके पर विद्युत चेकिंग करने एवं पंचनामा बनाये जाने का प्रश्न है । इस

बिन्दु पर साक्षी हरीश मेहता अ0सा03 के द्वारा चेकिंग का पंचनामा बनाया जाना बताया है जो कि लाईन हेल्पर रतन सिंह तोमर अ0सा01, रमेश रजक अ0सा02, श्री लाल राठोर अ0सा04 के द्वारा भी पंचनामा तैयार कराया जाना एवं उस पर हस्ताक्षर होना बताया है । उक्त पंचनामा प्र0पी0 1 में कमलेश वाथम के मौके पर उपस्थित होना और उसका अंगूठा निशानी लगा होना बताया है । किन्तु वास्तव में कमलेश वाथम मौके पर था कि नहीं और उसी के अंगूठे लिये गये हों ऐसा किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा नहीं बताया गया है और न ही इस आशय की कोई तस्दीक की गयी है ।

11. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मौके से किसी प्रकार की कोई तार आदि की जप्ती नहीं की गयी है । इस संबंध में साक्षी रतनसिंह तोमर अ0सा01 मौहल्ले वालों के विरोध के कारण तार की जप्ती न कर पाना बताया है और मौके पर 25 फीट तार होना उसके द्वारा बताया गया है । प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गयी है । इस संबंध में चेकिंगकर्ता हरीश मेहता के द्वारा मौके पर लोगों के द्वारा तार जप्ती के संबंध में विरोध करने की बात नहीं बतायी है और न ही किसी अन्य अभियोजन साक्षी के द्वारा ऐसी कोई बात बतायी है । ऐसी दशा में जबकि मौके पर 25 फीट तार मौजूद था तार की कोई जप्ती न करने के संबंध में कोई सम्यक आधार नहीं बताया है । जबकि तार की जप्ती एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती थी ।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में परिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जबकि आरोपी के कथित परिसर में विद्युत कनेक्शन का विच्छेद किये जाने और उसे धारा 56 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विच्छेद करने की सूचना की तामीली का तथ्य भी प्रमाणित नहीं है । किसी प्रकार की कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुयी है । चेकिंग पंचनामा में सभी साक्षी विद्युत विभाग के ही कर्मचारी होकर हितबद्ध साक्षी हैं ।

13. अतः परिवादी का वर्तमान प्रकरण आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुये उसे आरोपित अपराध धारा 138 (1) ख विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विधुत
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
विशेष न्यायाधीश विधुत
गोहद जिला भिण्ड